राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
वित भवन 'ए' ब्लॉक, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005
दूरभाष 0141–2740735,ई मेल:jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे–III/9451 **दिनांकः–** 26-11-2025

आदेश संख्याः–448/2025–26

कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा–2023 में दिनांक 17.12.2024 एवं 09.01.2025 को जारी परीक्षा परिणाम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु चयनित एवं अभिस्तावित निम्नांकित अभ्यर्थियों को कॉलम 5 में अंकित विभागीय आदेशों के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी।

उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात् राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के आदेश दिनांक 04.09.2025 एवं 12.09.2025 के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस० बी० सिविल रिट याचिका संख्या 15935/2024 दिव्या कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 की पालना में निदेशालय द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर पूर्व में अपात्र किये गये अभ्यर्थियों को गठित समिति द्वारा पुनः पात्र कर पात्रता रिपोर्ट भिजवाये जाने के कारण कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा उक्त भर्ती के परीक्षा परिणाम को दिनांक 04.09.2025 एवं 12.09.2025 को रिशफल किया गया।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी रिशफल परिणाम के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों का चयन कनिष्ठ लेखाकार पद से तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर किया गया।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को जारी रिशफल परिणाम दिनांक 04.09.2025 एवं 12.09.2025 के फलस्वरूप राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुसार तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। अतः निम्न विवरणानुसार अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कनिष्ठ लेखाकार पद पर दी गई नियुक्ति आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए इन्हें निदेशालय स्तर से तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	कनि. लेखाकार का नाम (सर्वश्री)	पिता का नाम (सर्वश्री)	रोल नं.	कनि. लेखाकार के पद हेतु जारी नियुक्ति आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	SURENDRA CHAUDHARY	DEV KARAN	700989	248/2024–25 दिनांक 22.01.2025	PMO , MEDICAL AND HEALTH, KEKRI , AJMER
2.	ASHA KANWAR	RAJENDRA SINGH	756457	240/2024–25 दिनांक 11.01.2025	TEHSILDAR , REVENUE DEPARTMENT , SRIMADHOPUR , SIKAR
3.	RAJENDRA KUMAR GURJAR	CHOTHU RAM GURJAR	738796	244/2024–25 दिनांक 11.01.2025	REGISTRAR , CO-OPERATIVE , JAIPUR , JAIPUR

उपरोक्त समस्त कनिष्ठ लेखाकार को उक्तानुसार पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तहसील राजस्व लेखाकार के पद हेतु जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 29.10.2025 के अनुसार नव पदस्थापित कार्यालय में अविलम्ब उपस्थिति दिया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों का कनिष्ठ लेखाकार के पद पर किसी प्रकार का कोई लियन नहीं रहेगा।

(संध्या शर्मा) 26/11/2025
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे–III/9451 **दिनांकः–** 26-11-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर को आदेश क्रमांक 6916–29 दिनांक 29.10.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका एवं निजी पत्रावली उनके नवीन पदस्थापन कार्यालय में तत्काल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
7. संबंधित कोषाधिकारी................................को सूचनार्थ एवं आदेश की पालना कराने हेतु।
8. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री.. को पालनार्थ।
9. उप निदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. संबंधित डीलिंग कार्मिक/वरिष्ठता सूची सीट/पीआईएस कार्मिक।
11. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांकः– रामले/स्था/टीआरए/नियुक्तिबैच2023/6916 दिनांक : 29/10/25

:: आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा–2023 मे सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा तहसील राजस्व लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशषा किये जाने पर राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा 1975 के अनुसार तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। नव नियुक्त तहसील राजस्व लेखाकार को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी उनके पदस्थापन जिले के जिला कलक्टर कार्यालय/संबंधित कार्यालय मे कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग की ई–मेल आईडी faborajm@gmail.com मण्डल कार्यालय को सूचित करेगें। संबंधित जिला कलक्टर एवं अन्य कार्यालय की स्थिति मे नियन्त्रण अधिकारी उनके जिले/कार्यालय मे आवंटित अभ्यर्थी का रिक्त पदों पर पदस्थापन आदेश जारी कर इसकी प्रति मण्डल कार्यालय को प्रेषित करेगें।

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नं.	वर्ग	चयनित वर्ग	नाम अभ्यर्थी मय पता	जन्मतिथि	गृह जिला	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटा
1	5206	794287	GEN	GEN-TSP	मिनाक्षी पाटीदार पुत्री श्री विजय पाटीदार पता– मुकाम कानपुर पोस्ट दिवडा बडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर–314031	06.12.1998	डूंगरपुर	जिला कलक्टर कार्यालय, डूंगरपुर	
2	1641	707104	EWS	EWS	रजनी राठौड पुत्री श्री मनोहर सिंह पता– प्लाट नम्बर 30ए स्ट्रीट 23/2 आरटीओ फाटक, जोधपुर पिन–341028	02.05.1999	नागौर	जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर	
3	3521	700989	OBC	OBC	सुरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री देव करण पता– गाव कसनाउ, तहसील जायल, नागौर–341024	18.07.1998	नागौर	जिला कलक्टर कार्यालय, नागौर	
4	1791	756457	EWS	EWS	आशा कंवर पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह पता– वार्ड नम्बर 2 राजपूतो का मोहल्ला, गांव लिसाडिया, तहसील श्रीमाधोपुर नीम का थाना, सीकर–332712	18.03.2001	सीकर	जिला कलक्टर कार्यालय, सीकर	
5	1470	738796	MBC	MBC	राजेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री चौथू राम गुर्जर पता– ग्राम रतनपुरा तहसील फागी, दूदू जिला जयपुर–303005	01.04.2000	जयपुर	जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर	

उपरोक्त अभ्यर्थी को तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन दी जाती है :–

1. यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951, राजस्व अधीनस्थ लेखा नियम 1975 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों मे अधिकथित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
2. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा एवं उक्त परीक्षा परिणाम मा.उच्च न्यायालय, जयपुर मे दायर एस.बी. सिविल रिट [illegible] 12726/2024 विक्रम पर्मा व अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, [illegible] अन्य कनेक्टेड याचिकाओ मे दिनांक 09.12.2024 को जारी आदेश के [illegible] अभ्यावेदनो के निर्णय और मा. उच्च न्यायालय, जयपुर मे दायर [illegible] 774/2025 विगल गुप्ता एव अन्य बनाम [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Ma[illegible]aveer Prasad
Designation: Registrar
Date: 2025.1[illegible] [illegible]:48:36 IST
Reason: Approved

RbjRaj Ref No.:
18498511
eSign 1.0

पारित दिनांक 14.08.2025 के अनुसार उक्त भर्ती की सभी नियुक्तियां एसबी रिट याचिका संख्या 339/25 के अन्तिम नतीजे के अध्यधीन रहेगी। राज्य सेवा मे कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवा नियमो में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।

3. राज्य सरकार के कर्मचारियो को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश/आदेश लागू होंगे। **यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगें।**

4. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा आवेदन पत्रो मे अंकित एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा/सम्यक् सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।

5. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना स. एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनाक 09.12.2017 के अनुसार तहसील राजस्व लेखाकार की पे मेट्रिक्स लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेंगा। परिवीक्षाकाल मे इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होगें।

6. अभ्यर्थी को राजस्थान राजस्व अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1975 के नियम-32 (2) उपनियम (1) के अनुसार तहसील राजस्व लेखाकार पद का संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त कर, परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। संस्थागत प्रशिक्षण के लिए पृथक से आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

7. अभ्यर्थी को राजस्थान राजस्व अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय नियमानुसार अनुबंध पत्र/ बॉण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो, देना होगा।

8. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमो के नियम-10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध मे संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नही होगी।

9. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी :-
   1-सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र 2-दहेज संबंधी शपथ पत्र 3-धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र4-चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र-ए (उक्त 4 शपथ पत्र 50 रूपये के नॉनज्यूडिशियल ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।) प्रस्तुत करना होगा।

10. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होंगी। परिवीक्षा काल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नही करने की स्थिति मे अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि मे विभागीय परीक्षा में तीन से अधिक बार अनुतीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-। मे आने वाले मामलो को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।

12. यदि सरकार की राय मे इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नही पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमे एक दक्ष तहसील राजस्व लेखाकार होने की क्षमता नही है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

13. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर मे दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12726/2024 मे विक्रम वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दि. 09.12.2024 को जारी आदेश के क्रम मे प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

14. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी उपरांत आगामी 15 कार्यदिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश निर्धारित अवधि में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थता हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता से उक्त अवधि के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जाएगें। कार्यग्रहण अवधि मे विस्तार राज्य सरकार के प्रचलित नियमों/परिपत्रो के अनुसार ही देय होगा।

15. अभ्यर्थी अस्थायी आधार पर तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (रूपये 23700/- ...) इसके अतिरिक्त वेतन वृद्धि अथवा अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें।

RajKaj Ref No.:
18498511
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mahaveer Prasad
Designation: Registrar
Date: 2025.1...48:36 IST
Reason: Approved

16. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनाक 30.10.2017 के अन्तर्गत किया जावेगा। नियमानुसार इस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
17. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में सशाधित प्रावधानो के अनुसार देय होगें।
18. अभ्यर्थी के दस्तावेजों में अपराधिक प्रकरण छुपाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं नियमानुसार अपराधिक/विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
19. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
20. प्रशिक्षण काल में अथवा प्रशिक्षण समाप्त होने के दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व सेवा से त्याग पत्र देने अथवा अन्य किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने पर प्रशिक्षणकाल के दौरान वेतन भत्ते आदि के रूप में दी गई राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।

(महावीर प्रसाद)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांक:-सम/6917-25 दिनांक :- 29/10/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश के क्र.सं. 3, 4 एव 5 पर अंकित अभ्यर्थी आपके विभाग के अधीन कार्यरत है, रिशफल परिणाम मे इनका चयन तहसील राजस्व लेखाकार पद पर होने से उक्त पद पर कार्यग्रहण हेतु आपके विभाग से कार्यमुक्त कराने का श्रम करावें।
3. शासन विशिष्ट शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान।
5. अतिरिक्त निबंधक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल राजस्थान।
6. संबंधित जिला कलक्टर,.. को प्रेषित कर लेख है कि -
   I. कृपया आपके कार्यालय मे नवनियुक्त तहसील राजस्व लेखाकार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पदस्थापित कर मण्डल कार्यालय को सूचित करावे साथ ही उनके कार्यभार ग्रहण करने की प्रति मण्डल कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
   II. नवनियुक्त तहसील राजस्व लेखाकार को उनके कार्य ग्रहण करने की दिनांक से एक सप्ताह तक जिला स्तर पर सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-I /सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-II जो भी उपलब्ध हो के पर्यवेक्षण मे तहसील राजस्व लेखाकार पद की प्रारंभिक कार्य प्रक्रिया की जानकारी से उन्हें अवगत कराने के बाद ही कार्यभार सुपुर्द करे।
   III. अभ्यर्थी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति पर होने से निर्धारित प्रपत्र में अचल सम्पत्ति का ब्यौरा भी भरकर मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करे।
7. संबंधित अभ्यर्थियों श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री..
8. आदेश/ निजी पत्रावली।

(महावीर प्रसाद)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

Signature valid
Digitally signed by Mahaveer Prasad
Designation: Registrar
Date: 2025.10.28 ...48:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18498511
eSign 1.0